भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2087
दिनांक 12 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीआरआईपी योजना में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन

2087. श्री लुम्बाराम चौधरीः
श्री महेंद्र सिंह सोलंकीः
श्री प्रवीण पटेलः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री दिलीप शइकीयाः
श्री दुलू महतोः
श्री विजय कुमार दूबेः
श्री दिनेशभाई मकवाणाः
डॉ. विनोद कुमार बिंदः
श्री नव चरण माझीः
श्रीमती कमलेश जांगड़ेः
डॉ. प्रशांत यादवराव पडोलेः
श्रीमती स्मिता उदय वाघः
श्री खगेन मुर्मुः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहन (पीआरआईपी) योजना में संशोधन किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) संशोधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्रारंभिक और परवर्ती चरण की परियोजनाओं के लिए राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) रणनीतिक प्राथमिकता वाले नवाचार क्षेत्रों की पहचान के मानदंड क्या हैं और उनके अंतर्गत उच्च प्राथमिकता वाली जन स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने वाली परियोजनाओं के लिए किस प्रकार के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं;

(घ) राष्ट्रीय फार्मा-मेडटेक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को सुगम बनाने के लिए उक्त योजना के अंतर्गत क्या संस्थागत व्यवस्थाएँ की गई हैं; और

(ङ) क्या सरकार का महाराष्ट्र के जलगाँव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र (खानदेश) जैसे औद्योगिक रूप से अल्पविकसित क्षेत्रों में फार्मा-मेडटेक निवेश और अनुसंधान समूहों को प्रोत्साहन देने, कौशलपूर्ण रोजगार सृजित करने और क्षेत्रीय औद्योगिक आधार में विविधता लाने के लिए समर्पित उपाय करने का विचार है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): जी हां। फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार प्रोत्साहन (पीआरआईपी) योजना में संशोधन किया गया था और संशोधित योजना को दिनांक 01.10.2025 को अधिसूचित किया गया था। हाल के संशोधनों का उद्देश्य सुचारू कार्यान्वयन को सुगम बनाना, अभिशासन में अधिक स्पष्टता लाना और लाभ-साझाकरण तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाना था। संशोधित योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

(i) इसके दो घटक हैं, अर्थात् घटक क: राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर) में उत्कृष्टता केन्द्रों (सीओई) की स्थापना के माध्यम से अनुसंधान अवसंरचना को सुदृढ़ करना और घटक ख: फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार का संवर्धन करना।

(ii) घटक क, नाईपरों में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करने के लिए है।

(iii) घटक ख का उद्देश्य उत्पादों और प्रौद्योगिकियों (आउटपुट्स) के विकास हेतु अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) को सहयोग प्रदान करने या तीन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, अर्थात् नई दवाओं, जटिल जेनेरिक और बायोसिमिलर, तथा नवीन चिकित्सा उपकरणों, में बाजार में लॉन्च और बड़े पैमाने पर व्यावसायीकरण हेतु अनुसंधान एवं विकास परिणामों के शीघ्र सत्यापन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

(ख): घटक क के अंतर्गत, कुल सात उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं जो निम्नलिखित स्थानों पर सात नाईपरों में प्रत्येक में स्थापित किए गए है:

(1) पंजाब राज्य में नाईपर, मोहाली, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का स्वीकृत परिव्यय है;

(2) गुजरात राज्य में नाईपर, अहमदाबाद, जिसके लिए 110 करोड़ रुपये का स्वीकृत परिव्यय है;

(3) असम राज्य में नाईपर, गुवाहाटी, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का स्वीकृत परिव्यय है;

(4) पश्चिम बंगाल राज्य में नाईपर, कोलकाता, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का स्वीकृत परिव्यय है;

(5) उत्तर प्रदेश राज्य में नाईपर, रायबरेली, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का स्वीकृत परिव्यय है:

(6) बिहार राज्य में नाईपर, हाजीपुर, जिसके लिए 99.99 करोड़ रुपये का स्वीकृत परिव्यय है; और

(7) तेलंगाना राज्य में नाईपर, हैदराबाद, जिसके लिए 90 करोड़ रुपये का स्वीकृत परिव्यय है।

योजना के घटक ख के तहत, प्रारंभिक चरण की परियोजनाओं के लिए, एमएसएमई और स्टार्टअप ₹9 करोड़ तक की लागत वाली परियोजनाओं हेतु ₹5 करोड़ तक की सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाद के चरण की परियोजनाओं के लिए, उद्योग, एमएसएमई और स्टार्टअप ₹285 करोड़ तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ तक की सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रारंभिक चरण की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता का पैमाना 1 करोड़ तक की लागत के लिए 100% और 1 करोड़ से अधिक की अतिरिक्त लागत पर 50% है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹5 करोड़ तक की है। बाद के चरण की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता का पैमाना परियोजना लागत का 35% (रणनीतिक प्राथमिकता वाले नवाचार क्षेत्रों की परियोजनाओं के मामले में 50%) है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹100 करोड़ तक की है। इस घटक के तहत, औषध विभाग ने औषध और मेडटेक क्षेत्र और स्टार्टअप्स से

अनुसंधान और नवाचार परियोजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योजना के घटक ख के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन प्रक्रिया में स्टार्टअप्स और उद्योगों को उस राज्य का नाम घोषित करने की आवश्यकता नहीं है जहाँ वे पंजीकृत हैं।

(ग): रणनीतिक प्राथमिकता वाले नवाचार क्षेत्रों की परियोजनाओं को शामिल करने के लिए अपनाए गए मानदंड यह हैं कि वे भारत की जन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के उन क्षेत्रों पर ध्यान देती हैं जिनके लिए बाजार की संभावना अपेक्षाकृत कम है। इन क्षेत्रों में बाद के चरण की परियोजनाओं के लिए, वित्तीय सहायता, अन्य क्षेत्रों की परियोजनाओं हेतु 35% की तुलना में, स्वीकृत कुल परियोजना लागत का 50% तक हो सकती है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹100 करोड़ तक की है।

(घ): राष्ट्रीय फार्मा-मेडटेक नवाचार ईकोसिस्टम को संस्थागत रूप से संवर्धित करने के लिए योजना के तहत तंत्र में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) घटक क के अन्तर्गत, सात राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के माध्यम से अनुसंधान अवसंरचना को संस्थागत रूप से सुदृढ़ किया गया है, जो स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की शिक्षा प्रदान करने और औषध विज्ञान और चिकित्सा प्रौद्योगिकियों में विभिन्न विशेषज्ञताओं में उच्च-स्तरीय अनुसंधान करने के लिए राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। ये केंद्र एंटी-वायरल और एंटी-बैक्टीरियल औषधि खोज और विकास, चिकित्सा उपकरणों, बल्क औषधियों, फ्लो कैमिस्ट्री और सतत विनिर्माण, नवीन औषधि वितरण प्रणाली, फाइटो-फार्मास्युटिकल्स और बायोलोजिकल थैराप्यूटिक्स की विशेषज्ञता में हैं, ताकि उद्योग-अकादमिक संपर्क का दोहन करते हुए पहचाने गए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विशिष्ट अनुसंधान क्षमताओं के निर्माण में सहयोग मिल सके। इनका उद्देश्य अनुसंधान करने के लिए उन्नत सुविधाएं और उद्योग-अकादमिक संपर्क के संवर्धन द्वारा टैलेन्ट पूल के संपोषण में सहयोग प्रदान करते हुए फार्मा-मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान अवसंरचना को सुदृढ़ करना है।

(ii) घटक ख के अंतर्गत, इस योजना के तहत उद्योग और स्टार्टअप को योजना के दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठित सरकारी शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के साथ लचीले ढंग से सहभागिता करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे संस्थागत बौद्धिक संपदा का विकास, अंतरण और व्यावसायीकरण किया जा सके और भारत में संस्थागत अनुसंधान क्षमताओं का संवर्धन किया जा सके।

(ङ): औषध विभाग ने उद्योग को बढ़ावा देने और कुशल एवं अकुशल रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से औद्योगिक रूप से अल्प विकसित क्षेत्रों में क्लस्टरों सहित ऐसे क्षेत्रों में फार्मा-मेडटेक में निवेश और अनुसंधान को संवर्धित करने के लिए औषध के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, भारत में महत्वपूर्ण प्रमुख प्रारंभिक सामग्रियों (केएसएम)/औषधि मध्यवर्ती (डीआई) और सक्रिय औषधीय घटकों (एपीआई) के घरेलू उत्पादन के संवर्धन के लिए पीएलआई योजना (जिसे आमतौर पर बल्क औषधि के लिए पीएलआई योजना कहा जाता है), औषध उद्योग सुदृढ़ीकरण योजना, पीआरआईपी योजना और बल्क औषधि पार्क संवर्धन योजना शुरू की है। औषध और बल्क औषधि के लिए पीएलआई योजनाओं और औषध उद्योग सुदृढ़ीकरण योजना के तहत, 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 540 से अधिक विनिर्माण स्थलों, जिनमें नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों के रूप में चिन्हित जिलों में स्थित 18 परियोजनाएं शामिल हैं, पर फैली परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है।
